अध्याय-3

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की पर्यवेक्षण भूमिका

अध्याय 3

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की पर्यवेक्षण भूमिका

3.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (एस.पी.एस.ई.) की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) एवं (7) के अंतर्गत राज्य सरकार की कंपनी और राज्य सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। नि.म.ले.प. को पूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है और सांविधिक लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणी या पूरक जारी करते हैं। दो[1] सांविधिक निगमों को नियंत्रित करने वाले क़ानूनों की अपेक्षा है कि उनके लेखाओं की नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा की जाए और रिपोर्ट राज्य विधानमंडल को सौंपी जाए।

3.2. नि.म.ले.प. द्वारा एस.पी.एस.ई. के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में यह प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के आरंभ से 180 दिन की अवधि के भीतर सरकारी कंपनी या सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों को नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त किया जाना है।

वर्ष 2019-20 के लिए सरकारी कंपनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों को नि.म.ले.प. द्वारा अगस्त 2019 से सितंबर 2020 के दौरान नियुक्त किया गया था। हरियाणा वित्तीय निगम के संबंध में लेखापरीक्षकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों के पैनल से नियुक्त किया गया है। हरियाणा राज्य भंडारण निगम के लेखापरीक्षकों को नि.म.ले.प. के परामर्श पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। नि.म.ले.प. को हरियाणा वित्तीय निगम और हरियाणा राज्य भंडारण निगम की उनके निगमन और कार्यचालन को नियंत्रित करने वाले संबंधित विधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा करने का अधिकार सौंपा गया है।

3.3 एस.पी.एस.ई. द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

3.3.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों की वार्षिक रिपोर्ट, इसकी वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) के तीन महीने के भीतर तैयार की जानी है और तैयार होने के बाद नि.म.ले.प. द्वारा बनाए गए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा उन पर किन्हीं टिप्पणियों या पूरक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति के साथ सदन या विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने होते हैं। दो सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान मौजूद हैं। यह यंत्रावली राज्य की समेकित निधि से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एस.पी.एस.ई.) में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करती है।

[1] हरियाणा वित्तीय निगम और हरियाणा राज्य भंडारण निगम।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों के साथ वार्षिक आम बैठक करने की आवश्यकता होती है। यह भी बताया गया है कि एक वार्षिक आम बैठक की तारीख और अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख के मध्य 15 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होगा। हालाँकि, भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आने वाली कठिनाइयों के कारण वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ए.जी.एम. आयोजित करने की तिथि 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा (सितंबर 2020) दी है। आगे, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी को उक्त ए.जी.एम. में उनके विचार के लिए रखा जाना चाहिए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए जिम्मेदार कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना और कारावास की सजा का प्रावधान है।

उपर्युक्त के बावजूद, विभिन्न एस.पी.एस.ई. के वार्षिक लेखे 31 दिसंबर 2020 तक लंबित थे, जैसा कि निम्नलिखित अनुच्छेद में विस्तृत विवरण दिया गया है।

3.3.2 राज्य सरकार की कंपनियों और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता

31 मार्च 2020 तक, नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्य सरकार की 28 कंपनियां और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन छ:[2] अन्य कंपनियां थीं। इनमें से, राज्य सरकार की 27 कंपनियों और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन पांच अन्य कंपनियों से 2019-20 के लेखे देय[3] थे। नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2019-20 के लिए कुल नौ सरकारी कंपनियों और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन एक अन्य कंपनी ने अपने लेखे 31 दिसंबर 2020 को या उससे पहले प्रस्तुत किए। राज्य सरकार की 18 कंपनियों और राज्य सरकार नियंत्रित चार अन्य कंपनियों के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे। इनके लेखाओं को प्रस्तुत करने में बकायों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

विवरण	राज्य सरकार की कंपनियां/ राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां		
	राज्य सरकार की कंपनियां	राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां	कुल
31.03.2020 तक नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कंपनियों की कुल संख्या	28	6	34
घटा: नई कंपनियां जिनके 2019-20 के लेखे देय नहीं थे	-	-	-
घटा: परिसमापन के अंतर्गत कंपनियां	1	1	2
कंपनियों की संख्या जिनके 2019-20 के लेखे देय थे	27	5	32

[2] (i) गुड़गांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड, (ii) फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड, (iii) गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड, (iv) फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसिज लिमिटेड, (v) करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड और (vi) हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड।

[3] लेखाओं को जमा करने की देय तारीख 30 सितंबर 2020 थी। हालांकि, भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कठिनाइयों के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ए.जी.एम. आयोजित करने की तारीख को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा (सितंबर 2020) दिया है।

विवरण		राज्य सरकार की कंपनियां/ राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां		
		राज्य सरकार की कंपनियां	राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां	कुल
कंपनियों की संख्या जिन्होंने नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा के लिए 31 दिसंबर 2020 तक लेखे प्रस्तुत किए		9	1	10
कंपनियों की संख्या जिनके लेखे बकाया थे		18	4	22
बकायों का ब्रेक-अप	(i) निष्क्रिय	3	-	3
	(ii) पहले लेखे प्रस्तुत नहीं किए	-	2	2
	(iii) अन्य	15	2	17
'अन्य' श्रेणी के विरूद्ध बकायों का आयु-वार विश्लेषण	एक वर्ष (2019-20)	7	1	8
	दो वर्ष (2018-19 तथा 2019-20)	5	1	6
	तीन वर्ष तथा अधिक	3	-	3

इन कंपनियों के नाम ***परिशिष्ट /// ए*** और ***परिशिष्ट /// बी*** में दिए गए हैं।

लेखाओं के अभाव में नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा निरीक्षण तथा नि.म.ले.प. द्वारा पूरक लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी जिसके कारण इस बात का आश्वासन नहीं मिला कि क्या निवेश और व्यय का ठीक से हिसाब किया गया था और जिस उद्देश्य के लिए राशि का निवेश किया गया था, उसे प्राप्त किया गया था। इसके अतिरिक्त, राज्य के खजाने में उनके योगदान के साथ-साथ उनकी गतिविधियों को भी विधानसभा को सूचित नहीं किया गया था।

बकाया खातों के मामले को उन कंपनियों के मुख्य सचिव/प्रशासनिक सचिवों/एम.डी. के साथ उठाया गया है, जिनके लेखे बकाया के निपटान में तेजी लाने के लिए बकाया थे। हालांकि अभी भी चार[4] एस.पी.एस.ई. ऐसे हैं, जिनके लेखे तीन से चार वर्ष से बकाया हैं।

अत: यह सिफारिश की जाती है कि वार्षिक लेखाओं को निर्धारित समय के भीतर तैयार करके अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

एग्जिट कांफ्रेंस (जुलाई 2021) के दौरान, ए.सी.एस. (वित्त) ने एस.पी.एस.ई. में लेखाओं के बकाया पर चिंता व्यक्त की और बकायों के निपटान के लिए संबंधित एस.पी.एस.ई. द्वारा शीघ्र कार्रवाई पर जोर दिया।

3.3.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता

नि.म.ले.प. द्वारा दो सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा की जा रही है। वर्ष 2019-20 के लिए हरियाणा वित्तीय निगम और हरियाणा राज्य भंडारण निगम लिमिटेड दोनों के लेखे 31 दिसंबर 2020 तक प्रतीक्षित थे।

[4] हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (4 वर्ष), हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड (3 वर्ष), हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड (3 वर्ष) और करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड (3 वर्ष; एक जी.सी.ओ.सी. ने वर्ष 2017-18 में स्थापना के बाद से अपने प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं)।

3.4 नि.म.ले.प. का पर्यवेक्षण - लेखापरीक्षा और पूरक लेखापरीक्षा

3.4.1 वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क

कंपनियों से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में अपनी वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और लेखा मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा मानकों का पालन करना अपेक्षित है। सांविधिक निगमों से अपने लेखाओं को नि.म.ले.प. के परामर्श से तैयार किए गए नियमों और ऐसे निगमों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में तैयार करने अपेक्षित हैं।

3.4.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा राज्य सरकार की कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक राज्य सरकार की कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार उन पर अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करते हैं।

नि.म.ले.प. इस समग्र उद्देश्य के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की मॉनीटरिंग द्वारा पर्यवेक्षण की भूमिका निभाता है कि सांविधिक लेखापरीक्षक उन्हें सौंपे गए कार्यों का सही एवं प्रभावी ढंग से निर्वहन करते हैं। इस कार्य का निर्वहन अधिकारों का उपयोग करके किया जाता है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना और
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर पूरक या टिप्पणी करना।

3.4.3 सरकारी कंपनियों के लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार करना एक इकाई के प्रबंधन का प्रमुख उत्तरदायित्व है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटैंट्स संस्थान (आई.सी.ए.आई.) की मानक अंकेक्षण प्रथाओं और नि.म.ले.प. द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणियों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत नि.म.ले.प. को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार की चयनित कंपनियों के प्रमाणित लेखाओं की समीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा पूरक लेखापरीक्षा द्वारा की जाती है। ऐसी समीक्षा पर आधारित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां, यदि कोई हो, वार्षिक आम बैठक के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत प्रतिवेदित की जाती हैं।

3.5 नि.म.ले.प. की पर्यवेक्षण भूमिका का परिणाम

3.5.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत राज्य सरकार की कंपनियों/राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

राज्य सरकार की नौ[5] कंपनियों और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन एक[6] अन्य कंपनी से वर्ष 2019-20 के वित्तीय विवरण 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त किए गए थे। नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा में राज्य सरकार की सात कंपनियों और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन एक अन्य कंपनी के लेखाओं की समीक्षा की गई थी।

31 दिसंबर 2020 तक चार एस.पी.एस.ई. के लेखाओं पर टिप्पणियां जारी की गईं। समीक्षा के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

3.5.2 राज्य सरकार की कंपनियों/राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के पूरक के रूप में जारी नि.म.ले.प. की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2019-20 की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के बाद नि.म.ले.प. ने राज्य सरकार की कंपनियों और सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों की वित्तीय विवरणियों की पूरक लेखापरीक्षा की। एस.पी.एस.ई., जिनके संबंध में टिप्पणियां जारी की गई थीं, की सूची ***परिशिष्ट /// सी*** में दी गई है। राज्य सरकार की कंपनियों की वित्तीय विवरणियों पर जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियां, जिनका वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 108.21 करोड़[7] और वित्तीय स्थिति पर ₹ 478.86 करोड़ था, नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

लाभप्रदता पर टिप्पणियां:

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एच.पी.जी.सी.एल.)	कंपनी ने अपने कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ के लिए ₹ 45.06 करोड़ का अतिरिक्त योगदान प्रदान किया। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी लाभ पेंशन निधि ट्रस्ट के प्रावधानों को अधिक बताया गया और समान राशि तक लाभ को कम बताया गया।
2	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एच.वी.पी.एन.एल.)	अन्य व्ययों में भारत सरकार से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षु दावे के ₹ 0.39 करोड़ शामिल हैं जिसके परिणामस्वरूप लाभ और चालू परिसंपत्तियों (भारत सरकार से प्राप्य) को ₹ 0.39 करोड़ तक अधिक बताया गया और अन्य व्ययों को कम बताया गया।

[5] हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड, हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

[6] गुड़गांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड।

[7] (एच.पी.जी.सी.एल. ₹ 45.06 करोड़ + एच.वी.पी.एन.एल. ₹ 56.46 करोड़ + यू.एच.बी.वी.एन.एल. ₹ 1.34 करोड़ और डी.एच.बी.वी.एन.एल. ₹ 5.35 करोड़)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.एल.)	कंपनी के लाभ को ₹ 1.34 करोड़ की शुद्ध राशि से कम बताया गया क्योंकि कंपनी ने न तो एच.पी.जी.सी.एल. को देय ₹ 12.23 करोड़ की अतिरिक्त बिजली खरीद लागत के लिए प्रावधान किया और न ही ₹ 13.57 करोड़ की निश्चित लागत के समायोजन के कारण प्राप्तियों को दर्ज किया।
4	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी.एन.एल.)	• कंपनी ने ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं से ₹ 0.50 करोड़ का अतिरिक्त अधिभार वसूल किया और इस राशि को अपनी अन्य आय में दर्ज किया जिसके परिणामस्वरूप लाभ और वर्तमान देनदारियों को ₹ 0.50 करोड़ तक अधिक बताया गया है। • कंपनी के लाभ को ₹ 1.86 करोड़ की शुद्ध राशि से कम बताया गया क्योंकि कंपनी ने न तो एच.पी.जी.सी.एल. को देय ₹ 16.95 करोड़ की अतिरिक्त बिजली खरीद लागत के लिए प्रावधान किया और न ही ₹ 18.81 करोड़ की निश्चित लागत के समायोजन के कारण प्राप्तियों को दर्ज किया। • अन्य व्ययों में 2019-20 के दौरान वार्षिक रखरखाव और तकनीकी सहायता तथा प्राप्त आई.टी. सक्षम सेवाओं के लिए देय ₹ 6.71 करोड़ को शामिल नहीं किया गया है परिणामस्वरूप ₹ 6.71 करोड़ तक चालू देयताओं का अवकथन और लाभ का अतिकथन हुआ।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां:

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	• प्रगति में पूंजीगत कार्य (सी.डब्ल्यू.आई.पी.) और चालू वर्ष के लाभ को ₹ 8.33 करोड़ से अधिक बताया गया था क्योंकि जिस सब-स्टेशन पर व्यय किया गया था, उसे हरियाणा सरकार द्वारा छोड़ दिया गया था। • कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एच.ई.आर.सी. (21 मई 2020 को जारी) द्वारा अनुमोदित कुल राजस्व आवश्यकताओं (ए.आर.आर.) से अधिक प्रसारण प्रभारों के माध्यम से ₹ 48.52 करोड़ की वसूली की। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2019-20 के लिए वर्तमान देयता को कम करके तथा लाभ को ₹ 48.52 करोड़ से अधिक बताया गया है।
2	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	हरियाणा सरकार द्वारा कंपनी को एच.पी.जी.सी.एल. के माध्यम से जारी सब्सिडी (मार्च 2020) के कारण ₹ 422.01 करोड़ की राशि के नकद और नकद समकक्षों में चेकस् इन हैंड शामिल हैं। 31 मार्च 2020 तक यह कंपनी द्वारा एच.पी.जी.सी.एल. से प्राप्य था। इसके परिणामस्वरूप एच.पी.जी.सी.एल. से उस सीमा तक नकद और नकद समकक्षों का अतिकथन और प्राप्यों का अवकथन हुआ।

अन्य महत्वपूर्ण टिप्पणियां:

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	• कंपनी ने 2019-20 के दौरान एन.टी.पी.सी. लिमिटेड और इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (आई.पी.जी.सी.एल., दिल्ली स्टेट कंपनी) के साथ अपने संयुक्त उद्यम अर्थात् अरावली पावर प्राइवेट लिमिटेड से ₹ 35.83 करोड़ का लाभांश प्राप्त किया और इसे अपने लेखाओं में दर्ज किए बिना हरियाणा सरकार के पास जमा करवा दिया। (इसी तरह की टिप्पणी पिछले वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं पर शामिल की गई थी।) • कंपनी ने वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए टैरिफ को अंतिम रूप देने में देरी के लिए ₹ 27.42 करोड़ की धारण लागत को 'अन्य आय' के बजाय ' परिचालनों से राजस्व' के रूप में अनुमति दी। • वेतन में एच.पी.जी.सी.एल. उत्पादन संयंत्रों की निगरानी और रख-रखाव के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से जुड़ी सुरक्षा सेवाओं पर ₹ 38.77 करोड़ की राशि शामिल है। व्यय को 'अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए। (इसी तरह की टिप्पणी पिछले वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं पर शामिल की गई थी।)

3.6 लेखांकन मानकों/भारतीय लेखांकन मानकों के प्रावधानों का अनुपालन न करना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (1), 132 और 133 के साथ पठित उपर्युक्त अधिनियम की धारा 469 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के उपयोग में केंद्र सरकार ने लेखांकन मानक 1 से 7 और 9 से 29 निर्धारित किए। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियम, 2016 के माध्यम से 41 भारतीय लेखांकन मानकों को अधिसूचित किया।

अनिवार्य लेखांकन मानकों/भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन न करने के निम्नलिखित दृष्टांत सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा सूचित किए गए थे:

लेखांकन मानक/ भारतीय लेखांकन मानक	मानक/ भारतीय लेखांकन मानक	कंपनी का नाम	विचलन
भारतीय लेखांकन मानक 36	परिसंपत्तियों की क्षति	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	कंपनी केवल भारतीय लेखांकन मानक 36, जो प्रावधान करता है कि प्रत्येक मूर्त और अमूर्त परिसंपत्ति का उचित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए और तदनुसार क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए, के उल्लंघन में बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों पर क्षति की ओर 10 प्रतिशत प्रदान करती है। बी.बी.एम.बी. के साथ संयुक्त रूप से रखी गई उत्पादन परिसंपत्तियों पर कोई क्षतिपूर्ति नहीं की गई है।

पूरक लेखापरीक्षा के दौरान, नि.म.ले.प. ने अवलोकित किया कि निम्नलिखित कंपनियों ने भी लेखांकन मानकों/भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं किया था, जो उनके सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित नहीं किए गए थे:

लेखांकन मानक/ भारतीय लेखांकन मानक	**मानक/ भारतीय लेखांकन मानक**	**कंपनी का नाम**	**विचलन**
भारतीय लेखांकन मानक 1	वित्तीय विवरणियों का प्रस्तुतिकरण	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	• कंपनी ने ₹ 16.81 करोड़ में भूमि का निपटान किया, जिसका बही मूल्य ₹ 0.05 करोड़ था और ₹ 16.76 करोड़ का लाभ अर्जित किया। भारतीय लेखांकन मानक-1 के प्रावधानों के अनुसार, इस मद को असाधारण मदों में शामिल किया जाना चाहिए था, हालांकि, इसे 'अन्य आय' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। • बिजली की खरीद के संबंध में कई मुकदमे दर्ज थे, जिनमें ₹ 634.24 करोड़ का कुल भुगतान 'विद्युत खरीद लागत' के लिए लेखाबद्ध किया गया है। भारतीय लेखांकन मानक-1 के अनुसार, मुकदमे के निपटान की राशि को लाभ एवं हानि के विवरण में शीर्ष 'असाधारण मद (VI)' के अंतर्गत अलग से बताया जाना अपेक्षित है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 634.24 करोड़ की सीमा तक चालू वर्ष की विद्युत खरीद लागत का अतिकथन और असाधारण मदों का अवकथन हुआ।
भारतीय लेखांकन मानक 16	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	कंपनी की महत्वपूर्ण लेखा नीति के अनुसार, पूर्णता प्रमाण पत्र के अनुसार सभी गतिविधियों के पूरा होने पर सब-स्टेशन, प्रसारण लाइन और संबद्ध कार्यों को पूंजीगत कार्य से संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यद्यपि तकनीकी विंग के अभिलेखों के अनुसार इन परिसंपत्तियों के चालू होने की तिथि पूर्ण होने की तिथि से पहले की हो सकती है। यह भारतीय लेखांकन मानक 16- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुसार नहीं है। (इसी तरह की टिप्पणी पिछले वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं पर शामिल की गई थी।)

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में वित्तीय विवरणियों को आंशिक रूप से भारतीय लेखांकन मानकों के रूप में परिवर्तित किया गया है। प्रभाव मूल्यांकन विश्लेषण

रिपोर्ट, अपर्याप्त प्रलेखन के अभाव में, कंपनी के लाभ एवं हानि और बैलेंस शीट की स्थिति पर भारतीय लेखांकन मानक के गैर-अनुपालन के प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सका।

एग्जिट कांफ्रेंस (जुलाई 2021) के दौरान, ए.सी.एस. (वित्त) भारतीय लेखांकन मानकों सहित लेखांकन मानकों के महत्व से सहमत हुए और एस.पी.एस.ई. को इनका पालन करने का निर्देश दिया।

3.7 प्रबंधन-पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक, लेखापरीक्षक और कॉर्पोरेट इकाई के प्रशासन का उत्तरदायित्व संभालने वालों के मध्य वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले लेखापरीक्षा मामलों पर संचार स्थापित करना है।

एस.पी.एस.ई. की वित्तीय विवरणियों पर भौतिक अभ्युक्तियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत नि.म.ले.प. द्वारा टिप्पणियों के रूप में प्रतिवेदित किया गया था। इन टिप्पणियों के अतिरिक्त, वित्तीय रिपोर्टों में या रिपोर्टिंग प्रक्रिया में नि.म.ले.प. द्वारा देखी गई अनियमितताएं या कमियां भी सुधारात्मक कार्रवाई हेतु एक 'प्रबंधन-पत्र' के माध्यम से प्रबंधन को सूचित की गईं थीं। ये कमियां सामान्यत: निम्नलिखित से संबंधित हैं:

- लेखांकन नीतियों एवं प्रथाओं का प्रयोग और व्याख्या,
- लेखापरीक्षा से उत्पन्न समायोजन जो वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं; और
- कुछ महत्वपूर्ण जानकारी का अपर्याप्त होना या प्रकट न होना।

वर्ष के दौरान, नि.म.ले.प. ने चार एस.पी.एस.ई. के 'प्रबंधन पत्रों' के माध्यम से हित के विशिष्ट मुद्दों को उठाया ***(परिशिष्ट /// डी)***।